न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही (राज.)
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.पत्र संख्या 59 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 मांगीलाल पुत्र श्री ओटाराम जाति मेघवाल आयु व्यस्क नि. बारेवडा तहसील शिवगंज जिला सिरोही		1– स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही तहसील व जिला सिरोही

उपस्थित :–

1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री चेतन रावल

2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तह.सिरोही)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत

निर्णय दिनांक 24–02–2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.काश्त.अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 28.05.2024 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम माण्डवा पटवार हल्का गोल भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र रामपुरा तहसील व जिला सिरोही में प्रार्थी के नाम की स्वतंत्र खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2073–2076 के अनुसार खाता संख्या नया 246 के खसरा संख्या 418 रकबा 0.5500 हैक्टेयर बारानी–2 व खसरा संख्या 419 रकबा 0.4500 है0 बारानी–2 कुल किता 02 कुल क्षेत्रफल 1.0000 हैक्टेयर है। ग्राम मांडवा पटवार हल्का गोल तहसील सिरोही में अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम राजकीय बिलानाम खाता संख्या नया 1 खसरा संख्या 427 रकबा 0.7000 हेक्टेयर किस्म बंजर तथा खसरा संख्या 425 रकबा 0.5500 हेक्टेयर किस्म गै.मु.नाला की कृषि भूमि आई हुई है। उक्त खसरा संख्या 427 तक आने जाने हेतू खसरा संख्या 427 के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 428 किस्म गै.मु.रास्ता मौके पर मौजूद है, जो राजस्व रेकर्ड में भी अमल दरामद किया हुआ है। प्रार्थी को अपने स्वयं के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 419 एवं 418 में आने जाने हेतू उक्त रेकर्डेड रास्ते (खसरा संख्या 428) से अप्रार्थी राजस्थान सरकार के राजकीय बिलानाम खसरा संख्या 427 में से संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ते की भूमि का उपयोग व उपभोग बुवाई का कार्य शुरू से करता चला आ रहा है। तथा इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग आस पडौसियान की कृषि भूमि के खातेदार भी कदीम से शातिपूर्वक करते रहे है। उक्त रास्ते के आलामात मौके पर मौजूद है जो संलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शित है।

प्रार्थी की उक्त कृषि आराजी पर आने जाने हेतू एकमात्र रास्ता अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज बिलानाम कृषि भूमि खसरा नम्बर 427 व 425 में से होकर है। अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज बिलानाम कृषि भूमि मे स्थित उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की उपरोक्त कृषि भूमि आने जाने हेतु अन्य मार्ग मौके पर उपलब्ध नहीं है, तथा प्रार्थी को अपने खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी पर जाने हेतु अप्रार्थी राजस्थान सरकार के राजकीय बिलानाम कृषि भूमि खसरा संख्या 427 में से संलग्न नजरी नक्शे अनुसार मौके पर स्थित तीस फीट चौडे रास्ते की प्रथम दृष्टयां आवश्यकता है। प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकर रकम जमा करवाने हेतु तैयार है एवं प्रार्थी का यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क (1) के अनुरूप श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम बिलानाम दर्ज खाता संख्या नया 01 पुराना 01 खसरा संख्या 427 रकबा 0.7000 हेक्टेयर किस्म बंजर में से संख्या 425 रकबा 0.5500 हेक्टेयर किस्म गै. मु.नाला के सहारे सहारे संलग्न नजरी नक्शे अनुसार मौके पर स्थित तीस फीट चौडा रास्ता बाद जांच राजस्व रेकर्ड में दर्ज एवं नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश न्यायहित मे प्रदान करना फरमावे एवं अन्य कोई अनुतोष जो प्रार्थी के हित में न्यायोचित हो दिलाए जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे संलग्न प्रार्थी की खातेदारी ग्राम माण्डवा पटवार हल्का गोल, भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र रामपुरा तहसील व जिला सिरोही में खाता संख्या नया 246 के खसरा संख्या 418 रकबा 0.5500 हैक्टेयर बारानी–2 व खसरा संख्या 419 रकबा 0.4500 है0 बारानी–2 कुल किता 02 कुल क्षेत्रफल 1.0000 हैक्टेयर की छाया प्रति, नक्शा किश्तवार की प्रतियो का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 18–06–24 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शा.मि. किये गये । अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने तहसीलदार सिरोही की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समय दिया गया ।

उक्त प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 12–02–2025 को अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया तथा जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई ।

अप्रार्थी संख्या तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में कथन किया है कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी ग्राम मांडवा संवत् 2073–76 के खाता सं. 246 ख.नं. 419, 418 किता–2 कुल रकबा 1.0000 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि दर्ज है। मौका जांच अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्थायी या रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी वैकल्पिक तौर पर ग्राम मांडवा के बिलानाम ख.नं. 427 किस्म बंजर में से होकर तथा ख.नं. 425 नाला में से होता हुआ अपने खेत ख.नं. 419 में प्रवेश करता है, उक्त वैकल्पिक रास्ता एक पगदंडी सा. मौके पर मौजुद है। उक्त वैकल्पिक पगदंडी के अलावा मौके पर कही कोई नजदीकी कम दूरी का रास्ता नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि

तीनों ओर से बरसाती नाले से घिरी हुई है। उक्त मौके पर वैकल्पिक पगदंडी राजकीय भूमि ख.नं. 428 किस्म गै.मु. रास्ता से शुरू होकर बिलानाम ख.नं. 427 (नाले के सहारे) किस्म बंजर ख.नं. 425 किस्म गै.मु. नाला में से प्रार्थी के खेत ख.नं. 419 तक जाती है। जिसमें ख.नं. 425 किस्म नाला बीच में पडता है। इसके लिये प्रार्थी पुलिया बनाने को तैयार है।मौके की परिस्थितियों को देखते हुये एवं आस पास में नजदीकी एवं कम दूरी का अन्य कोई रास्ता न बन पाने से ख.नं. 427 बिलानाम भूमि में लम्बाई 40 मीटर चौडाई 9 मीटर = 360 वर्ग मीटर = 0.0360 हैक्टेयर रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित रास्ता ख.नं. 428 किस्म गै.मु. रास्ता से शुरू होता है। ख.नं. 428 किस्म गै.मु. रास्ता नक्शे में दर्ज है।उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि रकबा 0.0360 हैक्टेयर में कही कोई स्थायी संरचना निर्माण एवं वृक्ष वगैरा नहीं है। वर्तमान डी.एल.सी. दर रूपये 3079000/– प्रति हैक्टेयर (सिंचित नेशनल/स्टेट हाईवे से 201 से 500 मीटर) के अनुसार भूमि की कीमत = 3079000×0.0360 =110844 RF 110900/– बनती है।

विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली वास्ते वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अंतिम बहस दिनांक 12–02–2025 को रखी गई। जिस पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ने न्यायालय मे हाजिर होकर उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मुल पत्रावली मय प्रार्थना पत्र व जवाब स्टेट तहसीलदार सिरोही व सलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व सलग्न नक्शा ट्रेस किश्तवार का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। संपूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया गया कि अप्रार्थी स्टेट की ओर से प्राप्त जवाब अनुसार तहसीलदार सिरोही ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है तथा पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस मे तहसीलदार सिरोही के जवाब अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे खातेदारी भूमि मे पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है। अतः प्रार्थी को उसके खातेदारी आराजी मे से होकर आने जाने के लिए रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिए आत्यांतिक आवश्यकता है एंव वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता सिद्ध नही होती तथा तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे भी रास्ता मौके एंव रेकर्ड मे नही होना बताया है इस कारण तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाना उचित समझते है। वहीं खसरा संख्या 428 गै.मु नाला पर प्राकृतिक बहाव को बाधित किए बगैर सक्षम विभागीय स्तर पर अनापत्ति प्राप्त कर आवागमन किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एंव तहसीलदार सिरोही के प्रस्ताव अनुसार

प्रार्थी को उनकी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम माण्डवा के खाता सं. 246 ख.नं. 419, 418 किता–2 कुल रकवा 1.0000 हैक्टेयर पर कृषि कार्य हेतु स्वंय व कृषि यंत्र मवेशी बैलगाडी

के आवागमन के लिए ग्राम माण्डवा पटवार हल्का गोल, भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र रामपुरा तहसील व जिला सिरोही के जमाबंदी संवत 2073–2076 के खातेदार श्री सरकार की राजकीय बिलानाम भूमि खसरा सं. 427 में लम्बाई 40 मीटर चौडाई 9 मीटर = 360 वर्ग मीटर = 0.0360 हैक्टेयर में से रास्ते के लिये भूमि दिया जाना उचित है। अतः उपरोक्तानुसार राजकीय बिलानाम भूमि खसरा सं. 427 में लम्बाई 40 मीटर चौडाई 9 मीटर = 360 वर्ग मीटर = 0.0360 हैक्टेयर दिया जाना उचित होने से नियमानुसार रास्ता के लिये स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251(क) के तहत राजस्थान सरकार के श्री मान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप 6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.(52) राज.–6/4 दिनांक 14.06. 2013 बाबत राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध मे दिये गये प्रावधानो अनुसार उक्त रास्ते की भूमि स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रिति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है :– (क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरो या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और (ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधारित भूमि के तुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

तहसीलदार सिरोही द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कीमत की राशी प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने पर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को उपरोक्तानुसार राजकीय बिलानाम भूमि खसरा सं. 427 में लम्बाई 40 मीटर चौडाई 9 मीटर = 360 वर्ग मीटर = 0.0360 हैक्टेयर का रास्ता/ मार्ग दिया जाना उचित है। प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि की कीमत राशी अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को उपरोक्तानुसार भूगतान करने पर भूमिधारी तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव अनुसार रास्ते की भूमि खातेदारी में से कम कर राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मूमकीन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरि सिंह देवल)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.) सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 24–02–2025 को मेरे हस्ताक्षर पदनाम व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)